समेकित क्षेत्रीय केंद्र (दिव्यांगजन) – सी.आर.सी. भोपाल

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

(अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.सं. – मुंबई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन)

COMPOSITE REGIONAL CENTRE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN) – BHOPAL

(Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Min. of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)

(Under the administrative control of AYJNISHD-Mumbai)

क्रमांक-सीआरसी-बी/IV-2(क)/वाहन/2016/ 1238 दिनांक 27/10/2017

निविदा आमंत्रण 08 DEC 2017

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के अधीन सीआरसी, भोपाल विगत 17 वर्षों से मध्य भारत मे दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र मे सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

सीआरसी-भोपाल प्रतिष्ठित वाहन प्रदाता (ट्रेवल एजेंसियों) से इस केंद्र के छात्रों तथा दिव्यांग लाभार्थियों के आवा-गमन हेतु सवारी वाहन "टाटा मैजिक" मासिक किराए के आधार पर लेने हेतु इ-निविदाएँ आमंत्रित करता है। ई-निविदाओं की कार्यावधि एक वर्ष के लिए होगी जो कि सेवाएँ उत्कृष्ट होने की दशा में दोनों पक्षों की सहमति से आगामी एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। निविदाओं की नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. वाहन प्रदाता किसी भी सरकारी /गैर सरकारी/सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत कार्य करने के अनुभव हो।
2. वाहन अच्छी हालत के होने चाहिए उचित रूप से पंजीकृत/टैक्स/इन्शुरेंस पैड और फिट प्रमाणित होने चाहिए। वाहन इस केंद्र की मांग के अनुसार सभी कार्य दिवसों पर प्रात: 08.30 बजे से साँय 18.00 बजे तक वाहन, ईधन तथा चालक उपलब्ध कराना होगा। सभी शासकीय करों (taxes) तथा अनुमति की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
3. सुबह 8.30 बजे सीआरसी भोपाल से शाम 18.00 बजे तक सीआरसी भोपाल तक की माइलेज गणना को ही मान्य किया जाएगा। वाहन के चलने का नियमित रूप से वाहन लॉगबुक बनाना आवश्यक होगा जिसमें प्रतिदिन की मीटर रीडिंग एवं कुल रीडिंग लिखकर प्रति दिन इस केंद्र द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी से हस्ताक्षर कराना होगा।
4. वाहन चालक वर्दी में एवं सभ्य स्वभाव का हो । वाहन चालक धूम्रपान /तंबाकू / शराब आदि की सेवन के लत से मुक्त हो ।
5. वाहन चालक के पास हमेशा सभी वैध दस्तावेज, लाइसेंस और मोबाइल हो ।
6. उपलब्ध कराए गए वाहन मे किसी भी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध करना होगा। जिससे कि यात्रियों के समय का नुकसान न हो।
7. वाहन मालिक/एजेंसी के बिलों का भुगतान नियमानुसार आयकर काटने के बाद किया जाएगा जिसका टीडीएस प्रमाण पत्र इस केंद्र द्वारा प्रदाय किया जाएगा।
8. आवेदन कर्ता एजेंसी द्वारा आवेदन के साथ रुपए **18000/-** (अठारह हजार मात्र) की राशि का सुरक्षा निधि / जमांनत राशि (EMD) के रूप में, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट "सी आर सी,भोपाल" के नाम जो कि भोपाल पर देय हो या ऑनलाइन खाता संख्या 30002389580 भारतीय स्टेट बैंक, प्लांट एरिया ब्रांच, भोपाल (IFSC Code: SBIN0005855) मे जमा कराना आवश्यक होगा। निविदा के साथ सुरक्षा निधि (EMD) जमा नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। सफल बिडर फर्म की सुरक्षा निधि की राशि इस केंद्र में जमानती राशि के रूप में जमा कर ली जाएगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा
9. तकनीकी बीड में अहर्ता प्राप्त बिड्डर्स (फर्म) के ही वित्तीय बिड खोले जाएंगे ।

OFFICER INCHARGE
COMPOSITE REGIONAL CENTRE FOR PERSONS WITH DISABILITIES ★ BHOPAL ★

10. 2000 किलोमीटर प्रति वाहन/प्रति माह (वाहन, डीजल, मैंटेनेंस ड्राईवर/क्लीनर इत्यादि का वेतन इत्यादि) को मिलाकर वित्तीय बिड मे न्यूनतम उद्धरण (rates) करने वाली फर्म को ही सफल बिडर फर्म घोषित किया जाएगा।

11. अगर कोई फर्म शून्य चॉर्जिज़ / भाव को उद्‌धृत करता है, तो उस फर्म की बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।

12. सफल बिडर फर्म को इस केंद्र के साथ अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा। जिसकी नियम एवं शर्तें सफल बिडर फर्म को आदेश जारी करने के बाद उपलब्ध करा दी जावेंगी। सफल बिडर फर्म को केंद्र के लाभार्थियों की सुविधा हेतु केंद्र द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। इस केंद्र को यह अधिकार संरक्षित रहेगा की वह किसी भी समय बिना कोई कारण दिए उक्त अनुबंध को समाप्त कर सकेगा । केंद्र की आवश्यकता बढ़ने पर ठेके की नियत दर पर इस केंद्र को एक और समतुल्य वाहन की माँग की जा सकती है।

13. इस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को किसी भी निविदा/कोटेशन को बिना किसी कारण के निरस्त/स्वीकार करने का अधिकार होगा।

14. दिव्यांग लाभार्थियों के उतरने एवं चढ़ने के लिए सुगम वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी।

15. अनुबंध के दौरान ईधन की दरों में बढ़ौतरी या अन्य किन्ही कारणों से दरों में को बढ़ौतरी नहीं की जाएगी।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार न्यायालय भोपाल होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

17. निविदा या अनुबंध में निहित नियम एवं शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में वाहन प्रदाता के अनुबंध के निरस्तीकरण के अलावा वित्तीय हर्जाना (penalty) की कार्यवाही का अधिकार इस केंद्र के प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

18. ई-निविदा के माध्यम से उद्धरण (रेट्स) दिनांक 19/01/2018 साँय 5.00 बजे तक जमा हो जाने चाहिए |

प्रभारी अधिकारी

COMPOSITE REGIONAL CENTRE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
OFFICER INCHARGE
BHOPAL

इ-निविदा कर्ता के फर्म की सील एवं अभिकर्ता के हस्ताक्षर ____________

फर्म का नाम एवं पता ____________

दूरभाष ____________ मोबाइल नंबर ____________

ईमेल ____________

समेकित क्षेत्रीय केंद्र (दिव्यांगजन) – सीआरसी भोपाल

भाग-I

तकनीकी बिड

ट्रेवल एजेंसी / कंपनी/फर्म का नाम / रजिस्ट्रेशन न.	
स्वयं के वाहनों की सूची RC के साथ	
सरकारी/पी एस यू/गैर सरकारी विभागों को वाहन उपलब्ध कराने का अनुभव	
पेन न.	
जीएसटीआईएन (GSTIN).	
मालिक का नाम तथा मोबाइल न.	
वाहन कितने समय में उपलब्ध करेंगे ?	______________ मिनिट
सुरक्षा निधि (EMD)	राशि______________ DD No. ______________ जारीकर्ता बैंक ______________ या (ऑनलाइन जमा की रशीद)

संलग्न: वाहन अनुमति

पार्टी के हस्ताक्षर ______________

पता ______________

फोन न. ______________

मोबाइल न. ______________

सील ______________

जगह:______________

दिनांक :______________

OFFICER INCHARGE
COMPOSITE REGIONAL CENTRE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
BHOPAL

समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सी आर सी) - भोपाल

भाग-II

वित्तीय बिड

स.क्र.	वाहन का प्रकार	वाहनों की संख्या	वाहनों के मासिक किराए की दरें (monthly rate)	वाहन का मॉडल/बनावट
			2000 किलो मीटर प्रति वाहन प्रति माह (डीजल, मैंटेनेंस (मरम्मत), ड्राईवर/क्लीनर का वेतन मिलकर एवं अन्य जो भी व्यय हो को मिलकर)	
1	सवारी वाहन "टाटा मैजिक"	1	मासिक किराया अंकों में________________ मासिक किराया शब्दों में________________	

**कृपया जीएसटी को छोडकर दर भरें*

फर्म के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी/मालिक के हस्ताक्षर________________

पता________________

दूरभाष________________ मोबाइल________________

फर्म की सील________________